

S.No.2

Government of India (भारत सरकार)
Ministry of Railways (रेल मंत्रालय)
(Railway Board)

No.2018/TG-V/1/5

New Delhi, dated. 12.12.2018

The General Managers,
All Zonal Railways.

Commercial Circular No: 72 of 2018

Sub: Deployment of ECRC staff in Ticket checking activities.

It has been observed that due to vacancies in ticket checking cadre, zonal Railways are facing problems in ensuring manning of reserved coaches, leaving a scope for leakage of revenue of Indian Railway and also causing inconvenience to the passengers.

1.1 Further, it has been observed that more than 65% of reserved tickets are now being booked through internet which has resulted in reduction in requirement of ECRC staff.

2. In order to optimize the human resource available in the Commercial Department, Board (CRB,FC,MS and MT) have decided that, as a temporary measure, wherever possible the ECRC staff may be engaged in stationary ticket checking activities and the stationary ticket checking staff may be entrusted with on board ticket checking activities. Necessary training must be imparted to the ECRC staff before being utilized for ticket checking duties.




(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No.2018/TG-V/1/5

New Delhi, dated. 12.12.2018

Copy for information and necessary action to

- FA&CAO, All Zonal Railways.
- PCPO, All Zonal Railways.
- Director (Audit) All Zonal Railways.



For Financial Commissioners/Railways
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2018/टीजी-V/1/5

नई दिल्ली, दिनांक.12.12.2018

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 72

विषय: ईसीआरसी स्टाफ की टिकट चैकिंग कार्यकलापों में तैनाती।

यह देखा गया है कि टिकट चैकिंग कैडर में रिक्तियों के कारण, क्षेत्रीय रेलों को आरक्षित सवारी डिब्बों में स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारतीय रेल के राजस्व की हानि होने की संभावना है और साथ ही यात्रियों को भी असुविधा हो रही है।

1.1 इसके आलावा, यह देखा गया है कि अब 65% से अधिक आरक्षित टिकट इंटरनेट के जरिए बुक की जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप ईसीआरसी स्टाफ की आवश्यकता में कमी आई है।

2. वाणिज्यिक विभाग में उपलब्ध मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बोर्ड (सीआरबी, एफसी, एमएस और एमटी) ने यह विनिश्चय किया है कि अस्थाई उपाय के रूप में, जहां-कहीं संभव हो, ईसीआरसी स्टाफ को स्थिर टिकट चैकिंग कार्यकलापों में लगाया जाए और स्थिर टिकट चैकिंग स्टाफ को ऑन बोर्ड टिकट चैकिंग कार्यकलाप सौंपे जाएं। ईसीआरसी स्टाफ को टिकट चैकिंग इयूटी पर लगाने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।

(शैली श्रीवास्तव)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं.2018/टीजी-V/1/5

नई दिल्ली, दिनांक. 12.12.2018

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

- प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- पीसीपीओ, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें
रेलवे बोर्ड